मध्यप्रदेश राज्य विरूद्ध रमेश।
आर.सी.टी.कमांक 560 / 2022

नेशनल लोक अदालत खण्डपीठ कमांक 20

12-11-2022

प्रकरण आज दिनांक 12.11.2022 को आयोजित नेशनल लोक अदालत की इस खंडपीठ कमांक 20 के समक्ष पेश हुआ।

राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ. उपस्थित।

अभियुक्त रमेश द्वारा अधिवक्ता श्री राजीव श्रीवास्तव उपस्थित।

प्रकरण उक्त राजीनामा आवेदन पत्र पर आदेश हेतु नियत है।

फरियादी/आहत द्वारा प्रस्तुत राजीनामा बाबत् आवेदन पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रकरण में फरियादी/आहत एवं अभियुक्त के मध्य आपसी राजीनामा हो गया हैं। फरियादी/आहत ने बिना किसी भय, दबाव, डर एवं किसी प्रलोभन के बिना आरोपी से राजीनामा कर लिया है। फरियादी/आहत अब प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहता हैं। अतः फरियादी/आहत एवं अभियुक्त का आपसी राजीनामा स्वीकार कर प्रकरण में प्रकरण में फरियादी/आहत को राजीनामा करने बाबत् अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि अभियुक्त रमेश पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 323 एवं 506 भाग–दो के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है। दण्ड विधि (संशोधन अधिनियम 2019) के द्व ारा धारा 320 द.प्र.स. को संशोधित कर भा.द.स. की धारा 294 को शमनीय अपराध की श्रेणी में जोडा गया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294 एवं 506 भाग–दो के अंतर्गत दण्डनीय अपराध जिस व्यक्ति के विरूद्ध अपराध कारित किया गया है, के द्वारा न्यायालय की अनुमति से राजीनामा योग्य है। फरियादी/आहत कन्हैयालाल द्वारा स्वेच्छ्या राजीनामा किया जाने के संबंध में कथन किया गया। फरियादी/आहत कन्हैयालाल द्वारा बिना किसी भय, दबाव एवं लालच के राजीनामा किये जाने का कथन किया गया। फरियादी/आहत कन्हैयालाल राजीनामा हेतु सक्षम पक्षकार है। फरियादी/आहत कन्हैयालाल की पहचान

अधिवक्ता श्री राजीवर श्रीवास्तव द्वारा की गयी। भा.द.स. की धारा 323 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध बिना न्यायालय की अनुमति से राजीनामा योग्य है। अतः राजीनामा स्वेच्छया परिलक्षित होने से राजीनामा बाबत् अनुमति प्रदान करते हुये अभियुक्त रमेश पुत्र धनसिंह भील को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 323 एवं 506 भाग 2 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त रमेश पुत्र धनसिंह भील के जमानत एवं मुचलके भारमुक्त किये जाते है। प्रतिभू को उन्मोचित किया जाता है। रमेश पुत्र धनसिंह भील को स्वतंत्र छोडा जावे।

अभियुक्त का धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाणपत्र बनाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

प्रकरण में जप्तशुदा एक लोहे का सरिया मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार संपत्ति का निराकरण किया जावे।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत पंजी में दर्ज कर प्रकरण विहित समयावधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

सही/–

श्री दिनेश बैरागी
अधिवक्ता सदस्य कमांक–1

सुश्री चेतना दशोरा
पीठसीन अधिकारी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चांचौडा जिला गुना म.प्र.